

डिक्री मूल वाद पत्र
(आदेश 20 नियम 6-7, जाब्ता दीवान)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :- अमिता बिश्नोई

आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 35/2023

1. आशाराम उम्र 48 वर्ष

2. नरेन्द्र जयपाल उम्र 40 वर्ष

3. भीमराज उम्र 37 वर्ष

पुत्रगण चानणराम जाति मेघवाल निवासी

34 एस. टी. जी. तहसील पीलीबंगा जिला

हनुमानगढ़ राजस्थान ।



—वादीगण—

बनाम

1. चानणराम उम्र 71 वर्ष पुत्र दानाराम जाति मेघवाल निवासी 34 एस.टी.जी. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ ।
2. सुमन उम्र 46 वर्ष पुत्री चानणराम पत्नी रामप्रताप जाति मेघवाल निवासी वार्ड न. 37 सुरतगढ़ तहसील सुरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर ।
3. सरोज उम्र 42 वर्ष पुत्री चानणराम पत्नी गुरदेव जाति मेघवाल निवासी घमडिया तहसील सुरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर ।
4. मनु उम्र 34 वर्ष पुत्री चानणराम पत्नी टेकचन्द जाति जाति मेघवाल निवासी गांव 13 एच ठडा तहसील केसरीसिंहपुर जिला श्रीगंगानगर ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा ।

—प्रतिवादीगण—

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

वादी की ओर से श्री मदन लाल पारीक अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 1,2,4 की ओर से श्री संदीप सैन अधिवक्ता व राजपैरोकार तहसीलदार पीलीबंगा इस वाद मे **अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.** उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि, उभय पक्ष के मध्य हुए राजीनामा व इकबाल दावा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, के तहत वाद निम्नानुसार घोषणा की जाती है:-

1. **वादी संख्या 1 आशाराम:-**चक 11 एस.टी.बी. के खाता सं. 18/50 की कुल 6.3250 हैक. भूमि में चानणराम के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा यानि 2.108 हैक. तथा चक 34 एस.टी. जी. खाता सं. 18/16 प.न. 8/340 (12) किला नं. 1/1/0.228, 1/2/0.025, 10/0.076 की 0.329 हैक. नाली प्रथम मय गै.मु.खाला दोनो चको की कुल 2.437 हैक. नहरी, नाली प्रथम मय गै.मु.खाला [संख्या] ।

2. **वादी संख्या 2 नरेन्द्र:-**चक 11 एस. टी.बी. के खाता सं. 10/8 की 1.5180 हैक. नहरी, नाली प्रथम मय गै.मु.रास्ता व इसी चक के खाता सं. 9/41 की 2.2770 हैक. नाली प्रथम मय गै.मु.रास्ता में चानणराम के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा यानि 1.138 हैक. नाली प्रथम मय गै.मु.रास्ता कुल 2.656 हैक. नहरी, नाली प्रथम मय गै.मु. रास्ता ।


सहायक कलक्टर
पीलीबंगा
जिला हनुमानगढ़

3. वादी संख्या भीमराज:—चक 34 एस.टी. जी. के खाता सं. 10/16 के प.न. 8/340 (12) किला नं. 2/19/2024, 10/177, 11/1/0.076, 15/1/228, 15/2/0.025 कुल 2.530 हैक्. नाली प्रथम मय गै.मु. खाला।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न हों तथऱ अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न हों, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होने की व समस्त प्रकार के भार मुक्त हों तथऱ किसी प्रकार के राजस्व हानि न होने की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथऱ भूमि की किस्म यथा नहरी / बरानी / गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसें किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 30.05.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



(अमितऱ बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा